स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति SHPSC) की चतुर्थ बैठक दिनांक 18.01.2018 (बृहस्पतिवार) का कार्यवृत्तः--

सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा बैठक में सम्मिलित हुए सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा बैठक के एजेण्डा बिन्दु के संबंध में अवगत कराया गया। राज्य स्तरीय उच्चाधिकारी समिति की तृतीय बैठक दिनांक 30 जून, 2017 में लिये गये निर्णय एजेण्डा के पृष्ठ संख्या–11 से 13 पर स्थित हैं। समिति द्वारा गत बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति का संज्ञान लिया गया।

(बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है)

एजेन्डा बिन्दु संख्या–1

स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अन्तर्गत आईईसी हेतु वार्षिक कार्य योजना रू0 187.03 करोड़ (मिशन अवधि के लिए) का अनुमोदन।

इस बिन्दु पर संयुक्त सचिव, भारत सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 18–12–2017 का उल्लेख किया गया है (एजेण्डा पृष्ठ–27)। समिति ने आई.ई.सी. की वार्षिक कार्ययोजना जो एजेण्डा के पृष्ठ–17 से 24 पर है (रू0 187.03 करोड़) पर विचार विमर्श किया गया तथा विचारोपरांत इस निर्देश के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि भारत सरकार को प्रेषित किये जाने वाले कार्ययोजना में मेजर हेड्स का उल्लेख किया जाये। उदाहणार्थ– स्टेट लेवल एक्टिविटी तथा स्थानीय निकाय स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों का एक ओवरआल परियोजना परिदृश्य प्रस्तुत किया जाये। माईको प्लानिंग तथा स्ट्रेटेजी विल्डिंग में एक्सपर्टर्स की राय भी ली जाए।

एजेन्डा बिन्दु संख्या–2

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत कलेक्शन एण्ड ट्रान्सपोर्टेशन उपकरण वाहन: Mechanical Road Sweeping Machine, क्लस्टर आधारित लैण्डफिल साईटस के विकास Capping & Bio Remediation Project हेतु अनुमानित आंकलन Rs.2229.54Cr. की परियोजना का अनुमोदन।

समिति द्वारा एजेण्डा के पृष्ठ–34 से 68 पर प्रस्तुत विवरण के आलोक में प्रस्तुत कार्ययोजना का अनुमोदन प्रदान किया गया। समिति के समक्ष नगर निगम झांसी द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना के लिए कियान्वित की जा रही योजना का संज्ञान लिया गया तथा बी.जी.एफ. फण्ड के प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ अनुमोदन दिया गया

कि डेवलपर्स द्वारा सी.एस.आर एवं ई.पी.आर. के तहत लगभग 6.75 करोड़ की धनराशि जो मोबलाइज की जानी है, उसकी प्रगति के दृष्टिगत ही बी.जी.एफ. की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। समिति द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के विषय पर स्थानीय परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में आकलन कराने के निर्देश दि दिए गये।

<u>एजेन्डा बिन्दु संख्या–3</u>

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तर पर गठित (पी0एम0यू0) में कार्यरत विशेषज्ञों का मासिक मानदेय रू0 60,000 से 75,000 एवं सपोर्ट स्टाफ का मासिक मानदेय रू0 15,000 से 25,000 करने हेतु अनुमोदन।

इस बिन्दु पर समिति द्वारा चर्चा नहीं किया गया।

<u>एजेन्डा बिन्दु संख्या–4</u>

Under Swachh Bharat Mission the D.P.R., being made according to the guidelines of SBM (mentioned in Para-11.21 (III) & Paira-11.21 (IV)) are to be vetted by IIT Kanpur, IIT Varanasi, IIT Delhi, IIT Roorkee and MNIT Allahabad.

समिति द्वारा आई.आई.टी.,कानपुर, आई.आई.टी.वाराणसी, आई.आई.टी.,दिल्ली, आई. आई.टी.,रूड़की और एम.एन.आई.टी., इलाहाबाद को स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्तर्गत तैयार किए गए डी.पी.आर. को वेट करने के लिए अधिकृत संस्था के रूप में नामित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>एजेन्डा बिन्दु संख्या–5</u>

Water and Sanitation for Urban Poor (WSUP) को हाई पावर कमेटी में विशेष आमंत्री के रूप में नामित किये जाने हेतु अनुमोदन।

समिति द्वारा **WSUP** को उत्तर प्रदेश में कार्य करने के लिए आबद्ध करने हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा भेजे गये पत्र दिनांक 10 अगस्त, 2017 तथा उक्त पत्र के कम में भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 29 सितम्बर, 2017 का संज्ञान लिया गया। **WSUP** को स्टेट हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी में विशेष आमंत्री के रूप में नामित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेन्डा बिन्दु संख्या–6

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण–2018, स्वच्छता संबंधी शिकायतों का निस्तारण एवं स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति संबंधी कार्य कॉल सेन्टर द्वारा किया जाना।

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रगति आख्या का संज्ञान लिया गया तथा स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति व कॉल सेन्टर के कार्यो तथा पिंक टॉयलेट, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय तथा कैपेसिटी बिल्डिग के विषय पर निर्गत आदेशों का संज्ञान लिया गया।

उपरोक्तानुसार हुये विचार विमर्श तथा संस्तुति/निर्णय के पश्चात बैठक सधन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

29.1.18

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्या–504/नौ–5–2018–355सा/2017
लखनऊःदिनांक 29 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि समस्त संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

प्ला।.
लिया ग।